न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारी:– कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 44 / 2023

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1. दामोदरलाल पुत्र जगाराम उर्फ जगीया उर्फ नगाराम जाति मेहतर निवासी गागुडा तहसील सोजत जिला पाली		1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत जिला पाली

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति:–

1. श्री चांदसिंह अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित
2. तहसीलदार सोजत उपस्थित

:– निर्णय :– दिनांक 03/06/2024

अधिवक्ता प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी के पेश कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गागुडा तह0 सोजत में प्रार्थी के पिता जगाराम पुत्र ओखा की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि ख.नं. 989 रकबा 2.17 है0 आयी हुई स्थित हैं। किन्तु राजस्व रेकर्ड में त्रुटिवश नगाराम पुत्र ओखाराम इन्द्राज हैं। दिनांक 07.09.1985 को जगाराम पुत्र ओखा का स्वर्गवास हो चुका है, जिनके विधिक वारिश बद्रीराम, सोनू, धारू, पेमाराम जिसमें से पेमाराम का भी स्वर्गवास हो चुका हैं। नगाराम व जगाराम एक ही व्यक्ति हैं। किन्तु राजस्व रेकर्ड में वक्त इन्द्राज जगाराम के स्थान पर नगाराम इन्द्राज किया गया। प्रार्थी के आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र व अन्य सरकारी व अर्द्ध सरकारी दस्तावेजात में जगाराम दर्ज सुदा हैं। इस प्रकार प्रार्थना पत्र पेश कर सरहद मौजा गागुडा के वर्तमान खाता संख्या 239 ख.नं. 989 रकबा 2.1700 है0 की कृषि भूमि में नगाराम के स्थान पर जगाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने की ईशतदुआ की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस तलब किया गया। पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से जवाब का अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना बंद किया गया।

प्रकरण में तहसीलदार सोजत को वस्तुस्थिति रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा गया। तहसीलदार सोजत द्वारा पत्रांक / राजस्व / 2024 / 194 दिनांक 19.02.2024 के जरिये रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके अनुसार ग्राम गागुडा में जगाराम व नगाराम दोनो एक ही व्यक्ति होना बताया एवं नगाराम के स्थान पर जगाराम इन्द्राज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

गागुडा तह0 सोजत ख.नं. 989 रकबा 2.17 है0 की कृषि भूमि मे प्रार्थी के पिता का सही व वास्तविक नाम जगाराम पुत्र ओखाराम इन्द्राज किये जाने की ईस्तदुआ की है। जवाब बहस मे तहसीलदार सोजत द्वारा कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं फहरिस्त मय दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का सही नाम जगाराम पुत्र ओखाराम होने की संपुष्टि होती है।

:- आदेश :-

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। राहद मौजा गागुडा तह0 सोजत ख.नं. 989 रकबा 2.17 है0 की कृषि भूमि मे दर्ज नाम नगाराम पुत्र ओखाराम के स्थान पर जगाराम पुत्र ओखाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के आदेश तहसीलदार सोजत को दिए जाते है तदोनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावे। शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार सोजत को उक्त निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 03/06/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत